न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 17/2016 दायर तारीख 01/08/2016

1. लादूलाल पुत्र हीरा जाति खाती (सुथार) उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां
2. कैलाश पुत्र हीरा जाति खाती (सुथार) उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां

.....वादीगण

बनाम

1. शम्भूलाल पिता लालू जाति खाती उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां
2. मोहनलाल पिता लालू जाति खाती उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां
3. सुन्दर बेवा लालू जाति खाती उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां
4. राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी एक तरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 रा0टि0एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक 02.05.2019

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत 2021 से 2024 की जमाबन्दी मौजा चान्दजी की खेड़ी में खाता संख्या 3 पर दर्ज कृषि भूमि आराजी नम्बर 48 रकबा 2—06 बीघा खातेदार गुलाब दोला पुत्र गोपाल भंवरलाल गिरधारी पुत्र भैरू के खाते की संयुक्त खातेदारी में दर्ज अभिलेख थी जिस के नए नाप अनुसार 3—01 बीघा रकबा बनता हैं। समय समय वादग्रस्त जायदाद खातेदारों के समय समय पर बटवाड़ा करवा लिए जाने के कारण उनके बनने वाले हिस्से की भूमि उनके अलग— अगल खातों में दर्ज हो गई भैरू पुत्र गोकल के वारिसान ने अपने हिस्से की भूमि को अपनी सुविधानुसार अंतरित कर दिया इस प्रकार दोला के हिस्से की भूमि उनके पुत्रों कल्याण मोती व लालू की खातेदारी में अलग दर्ज हो गई। गत बन्दोबस्ती खसरा संख्या 48 का वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा संख्या 57 बना खसरा संख्या 57 जो एक बडा नम्बर था उसके एक नम्बर 1108/57 जो वर्तमान मन्नालाल मोहनी संतोष गोरी मन्जू लीला शिवदयाल धाकड़ के नाम पर दर्ज हैं क्योंकि पूर्व खातेदार दौला पिता गोकल खाती जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का दादा व प्रतिवादी संख्या 3 का ससुर हैं। उसने अपने हिस्से की गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 48 2—06 बीघा अपना तीसरा हिस्सा 0—15 बीघा रकबा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1971 को खसरा नम्बर 1108/57 के वर्तमान खातेदार के पूर्वज चुन्नीलाल धाकड को विक्रय कर दिया इस प्रकार दोला पिता गोकुल खाती का गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 48 में कोई रकबा शेष नही रहा। भूरालाल धाकड़ को विक्रय किये गए गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 48 के 0—15 बीघा का नम्बर 1108/57 रकबा 1—01 भी बना है जो क्रेता भूरालाल के वारिशो के नाम पर दर्ज हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 48 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 57 है उसमें वादीगण के दादा गुलाब पुत्र गोकल जी का 0–15 बीघा हिस्सा शेष रहा हैं भैरू पुत्र गोकल के हिस्से में 0–15 बीघा भूमि 1/3 हिस्से के हिसाब से आती है जो उनके खाते में दर्ज होकर अन्तरण के कारण अन्य के खाते में चली गई आराजी नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा जो गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 48 में गुलाब पुत्र गोकल के हिस्से में आई 0–15 बीघा से ही बना हैं। उस पर वादीगण का ही कब्जा है क्योंकि वह ही उक्त खसरा नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा के वास्तविक खातेदार वह अवैध कब्जाधारी हैं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा दोला पुत्र गोकल खाती द्वारा गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 48 में अपने हिस्से की 0–15 बीघा भूमि विक्रय कर दिए जाने के बावजूद गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 48 के नए बन्दोबस्त अनुसार बने खसरा नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा को दोला पुत्र गोकल खाती के नाम दर्ज कर दिया। उत्तरोतर उक्त खसरा नम्बर व उसका रकबा दोला के पुत्र लालू के नाम पर दर्ज हो गया एवं वर्तमान लालू के उतराधिकारियों प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज अभिलेख हैं। इस नम्बर बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक की खातेदारी अवैध हैं क्योकि दोला पुत्र गोकल द्वारा जरिए विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1971 से भूरालाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड़ को अपना 1/3 हिस्सा बनने के बाद कोई खातेदारी विवादित खसरा नम्बर में शेष नही रही वादीगण सामान्य काश्तकार हैं उनके राजस्व रिकॉर्ड देखने का काम नहीं पडता है खसरा नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा उन्हीं के कब्जे में हैं इसलिए वह समझते रहे कि खसरा संख्या 57 रकबा 1–01 उन्हीं के खाते में हैं। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर बैंक से ऋण लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पटवारी हल्का से अपने खाते की भूमि की जांच करवाई तो उनकी खातेदारी में खसरा नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा दर्ज होना नहीं पाया जिसके उन्हें प्रथम बार दिनांक 10.12.2015 को जानकारी हुई। वादी ने अनुतोष चाहा की मौजा चान्दजी की खेडी की खसरा नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को उक्त नम्बर व रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर वादीगण के खाते में वादग्रस्त भूमि अभिलेख किए जाने की डिक्री विरूद्ध प्रतिादीगण संख्या 4 के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाए जाने की डिक्री अनुसार वादीगण के पक्ष में सादिर फरमाए जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण 1 से 3 की और से छीतरलाल धाकड अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा। तत्पश्चात दिनांक 31.01.2018 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने पैरवी से इंकारी जाहिर की जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्व एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज सूची मय शपथ पत्र वादी, नकल नक्शा ट्रेस गतबन्दोबस्त, नकल मिलान खसरा, वर्तमान बन्दोबस्त नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 से 24 बाबत खसरा नं0 48, विक्रय पत्र की फोटोप्रति, वर्तमान जमाबंदी प्रतिवादीगण, वर्तमान जमाबंदी वादीगण प्रस्तुत किये गये। अन्य कोई लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये।

उपखण्ड अधिकारी
बेजोलियाँ जि -भीलवाड़ा

साक्ष्य वादी में **पी.डब्लयू 1 लादूलाल** के बयान कराये गये बयान में लिखाया कि गोकल मेरे पर दादा थे उनके तीन लड़के गुलाबजी दोलाजी भैरू हुए। गुलाब जी के लड़के का नाम हीरा, हीरा के दो लड़के लादूलाल में व कैलाश चन्द्र है दोला के लालू मोती कल्याण व भैरोजी के दो लड़के भंवरलाल व गिरधारी हैं दोला जी व भेरू जी की मृत्यु हो चुकी है दोला के लड़के लालू शांत हो गए उनके लड़के शम्भुलाल मोतीलाल सुन्दर देवी हैं। दावा किया जो जमीन चान्दजी की खेड़ी में हैं। जमीन का विवाद हैं व 2–05 बीघा होकर खसरा नम्बर 48 हैं उसके नए नाप से 3–01 बीघा बनती हैं। जमीन का उतरोत्तर बंटवारा हो गया। गत खसरा नम्बर 48 के नए नम्बर 57 बने हैं जिसमें एक नम्बर 1108/57 है जो मनालाल मोहनी लीला शिवदयाल के नाम पर है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

दोला पिता गोकुल ने अपनी जमीन बेच दी जमीन सन 1971 से 72 में बेच दी जिसमें वादग्रस्त भूमि में दोला का हिस्सा नहीं रहा जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 07.06.1971 को भूरा पिता चुन्नीलाल धाकड के नाम पर हो गई भूरा के वारिसान मन्नालाल सोनी संतोष के नाम खुल गया भेरू के 1/3 हिस्से की जमीन बिकाऊ से दूसरे के नाम चली गई। 1/3 हिस्सा वर्तमान बन्दोबस्त में हमारे नाम होना चाहिए जो गलती से लालू पिता दोला के वारिसान शम्भुलाल मोहन पिता लालू सुन्दर बेवा लालू शम्भुलाल पिता मोहनलाल के नाम आ गई जबकि दोनों ने अपना हिस्सा 30 साल पहले जरिये रजिस्ट्री के बेच दिया। हम वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर है यह जमीन प्रतिवादीगण के खाते से समाप्त कर हमारे खाते दर्ज करायी जावें।

साक्षी वादी में पीडब्ल्यू 2 कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल सुथार उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासी चान्दजी की खेड़ी के बयान करवाए गए बयान में लिखवाया की दोला पिता गोकल ने भूरालाल पिता चुनीलाल धाकड़ चान्दजी की खेड़ी को बेच दीफ। भूरालालद शांत हो गए हैं कब्जा हमारा है विक्रय पत्र के अनुसार दोला ने अपना हिस्सा भूरा को दे दिया दोला जाति से सुथार था गोकुल जी के तीन लड़के गुलाब दोला भेरू हुए। गुलाब का लड़का हीरा था हीरा के हम भुला व वह कैलाश हैं हमारा हिस्सा ना तो मेरे पिता ने बेचा ना हमारे दादा ने बेचा हम हमारा हिस्सा पुनः हमारे खाते दर्ज कराना चाहते हैं गलती से रेवेन्यू वालों ने दोला के विक्रय के आधार पर हमारा हिस्सा भी समाप्त कर दिया जबबि हमारा हिस्सा आज भी सुरक्षित है कब्जा हमारा उन्हें जमीन हमारे खाते में दर्ज की जाए।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश हैं।

बहस विद्ववान अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया तथा निवेदन किया कि हमने वादपत्र शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। वादपत्र की पुष्टि हेतु 2 गवाह के बयान कराये हैं। वादपत्र मूल में विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल कराये जाने सम्बन्धि हैं। विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं। मौजा चान्द जी की खेड़ी स्थित खसरा नम्बर 57 रकबा 0–01 बीघा से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को उक्त नम्बरान का खातेदार काश्तकार घोषित कराना फरमाए जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर ग्राम चांदजी की खेडी स्थित आ0न0 57 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से प्रतिवादी सं0 1 से 3 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगणों को उक्त नम्बरान मे घोषणात्मक डिक्री चाही है। पत्रावली में संलग्न विक्रयपत्र EX-5 प्रमाणित फोटोप्रति में दिनांक 23.08.1971 को आराजी नम्बर 48 का जुज रकबा 0–15 बीघा भूमि बेचान किया गया है। खसरा नं0 48 का भू प्रबन्ध में 57 नम्बर कायम किये गये हैं जिसके रकबा 1–01 बीघा बना हैं। जो मिलान खसरा EX-2 हैं। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में आराजी नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। जब भूमि दिनांक 23.08.1971 को ही प्रतिवादीगण के दादा दौला पिता गोकल द्वारा विक्रय भूरालाल पिता चुन्नीलल को विक्रय की जा चुकी हैं। जमाबन्दी EX-3 संवत 2021 से 2024 की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं। में भी विक्रय का अंकन हैं। आराजी नम्बर 48 का रकबा 1–01 बीघा हैं। जिसके नये आराजी नम्बर 57 होकर भूमि विक्रय के पश्चात भी प्रतिवादीगण के नाम अभिलिखित हैं। वादी लादूलाल पी.डब्ल्यू 1 ने वादपत्र के समर्थन में अपन सशपथ बयान में लिखाया कि गोकल मेरे परदादा थे उनके तीन लडके गुलाबजी, दौलाजी, भैरू हुए। गुलाब जी के लड़के का नाम हीरा, हीरा के दो लड़के लादूलाल व कैलाशचन्द्र हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

दोला के लालू, मोती, कल्याण में भैरू जी के दो लड़के भंवरलाल व गिरधारी हैं दोला जी व भैरू

जी की मृत्यु हो चुकी हैं। दोला के लड़के लालू शांत हो गए उनके लड़के शम्भुलाल, मोतीलाल, सुन्दर देवी हैं। दावा किया जो जमीन चान्दजी की खेड़ी में हैं। जमीन 2–05 बीघा होकर खसरा नम्बर 48 है उसके नए नाप से 3–01 बीघा बनती है जमीन का उतरोतर बंटवारा हो गया। बंटवाडा हो जाने से खसरा नम्बर 48 रकबा 0–15 बीघा था। जिसके नवीन आराजी नम्बर 57 कायम होकर रकबा 1–01 बीघा हैं जो प्रस्तुत वादपत्र में संलग्न मिलान खसरा राजस्व रेकॉर्ड से स्पष्ट हैं। प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर वाद का प्रतिरोध नहीं किया हैं

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88–89 रा0टि0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम चान्द जी की खेड़ी स्थित आराजी नम्बर 57 रकबा 1–01 बीघा से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 शम्भुलाल, मोहनलाल पिता लालू सुन्दर बेवा लालू जाति खाती की खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि वादीगण 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज अभिलेख की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 9.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी,
बिजौलिया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

Scanned by CamScanner